



प्रेस नोट जनपद खीरी

दिनांक 02.04.2026

पुलिस अधीक्षक महोदया खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयी

मिशन शक्ति 5.0 (द्वितीय चरण): थाना सिंगाही पुलिस द्वारा बाजारों/ सार्वजनिक स्थानों पर महिला सुरक्षा, सशक्तिकरण और कानूनी अधिकारों हेतु चलाया गया जागरूकता अभियान।



मिशन शक्ति फेज-5 के द्वितीय चरण के अन्तर्गत आज दिनांक 02.04.2026 को पुलिस अधीक्षक खीरी, डा0 ख्याति गर्ग के निर्देशन में थाना सिंगाही पुलिस द्वारा जागरूकता अभियान चलाते हुये महिलाओं एवं बालिकाओं को बाजारों, सार्वजनिक स्थानों, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में जागरूक किया गया। इस अभियान के माध्यम से सैकड़ों महिलाओं एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा, सशक्तिकरण, कानूनी अधिकारों तथा अपराधों से बचाव के उपायों के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। अभियान के दौरान महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर 181 - महिला हेल्पलाइन, 1090 - महिला शक्ति लाइन, 1098 - चाइल्ड हेल्पलाइन, 112 - इमरजेंसी हेल्पलाइन, 1076 - पुलिस कंट्रोल रूम आदि की जानकारी दी गयी। इसके अतिरिक्त, UPCOP ऐप के माध्यम से पुलिस सेवाओं का त्वरित लाभ उठाने तथा सोशल मीडिया पर व्याप्त साइबर अपराधों (फिशिंग, साइबर स्टॉकिंग, फर्जी प्रोफाइल/खातों से संबंधित धोखाधड़ी आदि) से बचाव के व्यावहारिक जानकारी दी गयी। महिलाओं को उनके कानूनी अधिकार POCSO एक्ट (बाल यौन शोषण से संरक्षण), दहेज निषेध अधिनियम, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, साइबर अपराधों से संबंधित सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की जानकारी प्रदान की गयी।

मिशन शक्ति 5.0 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करने की दिशा में यह अभियान निरंतर संचालित है। इसका मूल उद्देश्य समाज में महिलाओं को सशक्त एवं सुरक्षित महसूस कराना तथा अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को मजबूत करना है। जनपद खीरी पुलिस सभी महिलाओं एवं बालिकाओं से अपील करती है कि वे किसी भी प्रकार की असुरक्षा या अपराध की स्थिति में तुरंत निकटतम पुलिस थाने या उपरोक्त हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क करें। हम सब मिलकर एक सुरक्षित, सम्मानजनक एवं सशक्त समाज का निर्माण करें।

मिशन शक्ति 5.0 (द्वितीय चरण): थाना सम्पूर्णनगर पुलिस द्वारा बाजारों/ सार्वजनिक स्थानों पर महिला सुरक्षा, सशक्तिकरण और कानूनी अधिकारों हेतु चलाया गया जागरूकता अभियान।



मिशन शक्ति फेज-5 के द्वितीय चरण के अन्तर्गत आज दिनांक 02.04.2026 को पुलिस अधीक्षक खीरी, डा0 ख्याति गर्ग के निर्देशन में थाना सम्पूर्णनगर पुलिस द्वारा जागरूकता अभियान चलाते हुये महिलाओं एवं बालिकाओं को बाजारों, सार्वजनिक स्थानों, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में जागरूक किया गया। इस अभियान के माध्यम से सैकड़ों महिलाओं एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा, सशक्तिकरण, कानूनी अधिकारों तथा अपराधों से बचाव के उपायों के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। अभियान के दौरान महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर 181 - महिला हेल्पलाइन, 1090 - महिला शक्ति लाइन, 1098 - चाइल्ड हेल्पलाइन, 112 - इमरजेंसी हेल्पलाइन, 1076 - पुलिस कंट्रोल रूम आदि की जानकारी दी गयी। इसके अतिरिक्त, UPCOP ऐप के माध्यम से पुलिस सेवाओं का त्वरित लाभ उठाने तथा सोशल मीडिया पर व्याप्त साइबर अपराधों (फिशिंग, साइबर स्टॉकिंग, फर्जी प्रोफाइल/खातों से संबंधित धोखाधड़ी आदि) से बचाव के व्यावहारिक जानकारी दी गयी। महिलाओं को उनके कानूनी अधिकार POCSO एक्ट (बाल यौन शोषण से संरक्षण), दहेज निषेध अधिनियम, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, साइबर अपराधों से संबंधित सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की जानकारी प्रदान की गयी।

मिशन शक्ति 5.0 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करने की दिशा में यह अभियान निरंतर संचालित है। इसका मूल उद्देश्य समाज में महिलाओं को सशक्त एवं सुरक्षित महसूस कराना तथा अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को मजबूत करना है। जनपद खीरी पुलिस सभी महिलाओं एवं बालिकाओं से अपील करती है कि वे किसी भी प्रकार की असुरक्षा या अपराध की स्थिति में तुरंत निकटतम पुलिस थाने या उपरोक्त हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क करें। हम सब मिलकर एक सुरक्षित, सम्मानजनक एवं सशक्त समाज का निर्माण करें।

थाना शारदानगर पुलिस द्वारा, मंगलसूत्र चोरी की घटना का 24 घण्टे के अन्दर सफल अनावरण करते हुये घटना कारित करने वाली 05 नफर अभियुक्ताओं को गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक खीरी, डा0 ख्याति गर्ग द्वारा जनपद खीरी में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक खीरी के निकट पर्यवेक्षण में व सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल मार्गदर्शन एवं प्रभारी निरीक्षक थाना शारदानगर के नेतृत्व में दिनांक 01.04.2026 को थाना शारदानगर पुलिस द्वारा, दिनांक 31.03.2026 को बालाजी मन्दिर, कस्बा शारदानगर में चोरी हुए मंगलसूत्र के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर वादी पवन कुमार पुत्र सुरेश कुमार बरसोला कलां थाना तिकुनियां लखीमपुर खीरी की लिखित तहरीर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 78/2026 धारा 303(2) बीएनएस का 24 घण्टे के अन्दर सफल अनावरण करते हुए चोरी हुए मंगलसूत्र की बरामदगी कर घटना कारित करने वाली 05 नफर अभियुक्ताओ को बाला जी मंदिर व निघासन लखीमपुर मार्ग कस्बा शारदानगर से गिरफ्तार किया गया । चोरी करने वाली महिलाओ के सम्बन्ध में जानकारी की गयी तो इनके विरुद्ध जनपद लखनऊ, सीतापुर, हरदोई आदि जनपदो मे चोरी व गैंगेस्टर से सम्बन्धित कई मुकदमे पंजीकृत होना पाये गये है। गिरफ्तार अभियुक्ताओं के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय भेजा गया ।

गिरफ्तार अभियुक्ताओं का विवरण-

- 1.शैलकुमारी पत्नी कपिल उर्फ राजकुमार पासी निवासी भगवन्तपुर थाना रामपुर कलां जिला सीतापुर
- 2.रेखा उर्फ संध्या पत्नी भानू उर्फ उमेश पासी नि0 भगवन्तपुर थाना रामपुर कलां जनपद सीतापुर
- 3.फुर्तीला उर्फ कमला देवी पत्नी स्व0 विनोद कुमार पासी नि0 कादीपुर सरय्या थाना रामपुर कला जनपद
- 4.रूबी पत्नी स्व0 रामू निवासी भगवन्तपुर थाना रामपुर कलां जनपद सीतापुर हाल पता कब्रिस्तान के पास कस्बा व थाना मानपुर जिला सीतापुर
- 5.मोहिनी पत्नी श्यामू पासी निवासी भगवन्तपुर थाना रामपुर कलां जिला सीतापुर

अभियुक्ताओं का आपराधिक इतिहास

शैल कुमारी पत्नी कपिल उर्फ राजकुमार पासी निवासी भगवन्तपुर थाना रामपुर कला जिला सीतापुर

- 1.मु0अ0सं0 493/23 धारा 379/411 आईपीसी थाना हरगांव सीतापुर
- 2.मु0अ0सं0 494/2023 धारा 379/411 आईपीसी थाना हरगांव सीतापुर
- 3.मु0अ0सं0 419/2024 धारा 304(2), 317(2) बीएनएस थाना पारा जनपद लखनऊ
4. मु0अ0सं0 443/2025 धारा 303(2), 317(2)बीएनएस थाना महमूदाबाद सीतापुर
- 5.मु0अ0सं0 453/2025 धारा 303(2), 317(2)बीएनएस थाना महमूदाबाद सीतापुर
- 6.मु0अ0सं0 003/2026 धारा 303(2), 317(2)बीएनएस थाना महमूदाबाद सीतापुर
- 7.मु0अ0सं0 78/2026 धारा 303(2)/317(2)/317(4)/3(5) बीएनएस थाना शारदानगर खीरी

रूबी पत्नी स्व० रामू निवासी भगवन्तपुर थाना रामपुर कला जिला सीतापुर व हाल पता थाना मानपुर सीतापुर

- 1.मु०अ०सं०109/2022 धारा 392/411 भादवि थाना नैमिशराण्य जनपद सीतापुर
- 2.मु०अ०सं० 206/2021 धारा 392/411 भादवि थाना कोतवाली सिटी हरदोई
- 3.मु०अ०सं० 377/2021 धारा 380/411 भादवि थाना महमूदाबाद सीतापुर
- 4.मु०अ०सं० 548/2022धारा 41,411,467,468,471भादवि थाना माहोली जनपद सीतापुर
- 5.मु०अ०सं० 02/2023 धारा 2/ 3 गैगेस्टर अधिनियम थाना माहोली जनपद सीतापुर
- 6.मु०अ०सं० 0349/2018धारा 379, 411 भादवि थाना लहरपुर सीतापुर
- 7.मु०अ०सं० 78/2026 धारा 303(2)/317(2)/317(4)/3(5) बीएनएस थाना शारदानगर खीरी

रेखा उर्फ संध्या पत्नी भानू उर्फ उमेश पासी निवासी भगवन्तपुर थाना रामपुर कला जिला सीतापुर

- 1.मु०अ०सं० 548/2022 धारा 41,411,467,468,471भादवि थाना माहोली जनपद सीतापुर
- 2.मु०अ०सं० 02/2023 धारा 2, 3 गैगेस्टर अधिनियम थाना माहोली जनपद सीतापुर
- 3.मु०अ०सं० 78/2026 धारा 303(2)/317(2)/317(4)/3(5) बीएनएस थाना शारदानगर खीरी

4.मोहिनी पत्नी श्यामू पासी निवासी भगवन्तपुर थाना रामपुर कला जिला सीतापुर

- 1.मु०अ०सं० 78/2026 धारा 303(2)/317(2)/317(4)/3(5) बीएनएस थाना शारदानगर खीरी
- 2.फुर्तीला उर्फ कमला देवी पत्नी स्व० विनोद कुमार पासी नि० कादीपुर सरय्या थाना रामपुर कला जनपद सीतापुर
- 3.मु०अ०सं० 78/2026 धारा 303(2)/317(2)/317(4)/3(5) बीएनएस थाना शारदानगर खीरी

अभियुक्ताओं से बरामदगी का विवरण

एक अदद मंगलसूत्र तीन ठप्पे वाला पीली धातु का

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

- 1.थानाध्यक्ष बृजमोहन थाना शारदानगर जनपद खीरी
- 2.नि०अ० इन्साफ अली थाना शारदानगर जनपद खीरी,
- 3.उ०नि० राजीव कुमार थाना शारदानगर जनपद खीरी,
- 4.उ०नि० मोनिका यादव थाना शारदानगर जनपद खीरी,
- 5.का० अरुण कुमार थाना शारदानगर जनपद खीरी,
- 6.म०का० सीमा पटेल थाना शारदानगर जनपद खीरी,

थाना मैलानी पुलिस द्वारा, 01 नफर वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक खीरी, डा0 ख्याति गर्ग द्वारा जनपद खीरी में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक खीरी के निकट पर्यवेक्षण में व क्षेत्राधिकारी गोला के कुशल मार्गदर्शन एवं प्रभारी निरीक्षक थाना मैलानी के नेतृत्व में आज दिनांक 01.04.2026 को थाना मैलानी पुलिस द्वारा, थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 75/26 धारा 115(2)/351(2)/352 BNS में वांछित 01 नफर अभियुक्त जाहिद पुत्र अरस्तु निवासी संसारपुर थान मैलानी जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त को विधिक कार्यवाही पूर्ण कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

जाहिद पुत्र अरस्तु निवासी संसारपुर थाना मैलानी जनपद खीरी

गिरफ्तारी में शामिल पुलिस टीम

- 1.उ0नि0 श्री जितेन्द्र यादव थाना मैलानी जनपद खीरी
- 2.का0 सौरभ यादव थाना मैलानी जनपद खीरी

मिशन शक्ति 5.0 (द्वितीय चरण): थाना निघासन पुलिस द्वारा बाजारों/ सार्वजनिक स्थानों पर महिला सुरक्षा, सशक्तिकरण और कानूनी अधिकारों हेतु चलाया गया जागरूकता अभियान।



मिशन शक्ति फेज-5 के द्वितीय चरण के अन्तर्गत आज दिनांक 02.04.2026 को पुलिस अधीक्षक खीरी, डा0 ख्याति गर्ग के निर्देशन में थाना निघासन पुलिस द्वारा जागरूकता अभियान चलाते हुये महिलाओं एवं बालिकाओं को बाजारों, सार्वजनिक स्थानों, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में जागरूक किया गया। इस अभियान के माध्यम से सैकड़ों महिलाओं एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा, सशक्तिकरण, कानूनी अधिकारों तथा अपराधों से बचाव के उपायों के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। अभियान के दौरान महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर 181 - महिला हेल्पलाइन, 1090 - महिला शक्ति लाइन, 1098 - चाइल्ड हेल्पलाइन, 112 - इमरजेंसी हेल्पलाइन, 1076 - पुलिस कंट्रोल रूम आदि की जानकारी दी गयी। इसके अतिरिक्त, UPCOP ऐप के माध्यम से पुलिस सेवाओं का त्वरित लाभ उठाने तथा सोशल मीडिया पर व्याप्त साइबर अपराधों (फिशिंग, साइबर स्टॉकिंग, फर्जी प्रोफाइल/खातों से संबंधित धोखाधड़ी आदि) से बचाव के व्यावहारिक जानकारी दी गयी। महिलाओं को उनके कानूनी अधिकार POCSO एक्ट (बाल यौन शोषण से संरक्षण), दहेज निषेध अधिनियम, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, साइबर अपराधों से संबंधित सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की जानकारी प्रदान की गयी।

मिशन शक्ति 5.0 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करने की दिशा में यह अभियान निरंतर संचालित है। इसका मूल उद्देश्य समाज में महिलाओं को सशक्त एवं सुरक्षित महसूस कराना तथा अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को मजबूत करना है। जनपद खीरी पुलिस सभी महिलाओं एवं बालिकाओं से अपील करती है कि वे किसी भी प्रकार की असुरक्षा या अपराध की स्थिति में तुरंत निकटतम पुलिस थाने या उपरोक्त हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क करें। हम सब मिलकर एक सुरक्षित, सम्मानजनक एवं सशक्त समाज का निर्माण करें।

थाना उचौलिया पुलिस द्वारा, 01 नफर वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक खीरी, डा0 ख्याति गर्ग द्वारा जनपद खीरी में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक खीरी के निकट पर्यवेक्षण में व क्षेत्राधिकारी मोहम्मदी के कुशल मार्गदर्शन एवं प्रभारी निरीक्षक थाना उचौलिया के नेतृत्व में आज दिनांक 02.04.2026 को थाना उचौलिया पुलिस द्वारा, मुकदमा नं0 3200/2024 धारा 498ए आईपीसी व 3/4 डीपी एक्ट में 01 नफर वारण्टी अभियुक्त शोभित पुत्र प्रेमपाल निवासी ग्राम कोटरा थाना पसगवां जिला खीरी को गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त को विधिक कार्यवाही पूर्ण कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

शोभित पुत्र प्रेमपाल निवासी ग्राम कोटरा थाना पसगवां जिला खीरी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1.उ0नि0 शमसुल्लाह मलिक थाना उचौलिया खीरी
- 2.हे0का0 शिशुपाल थाना उचौलिया खीरी